आठवॉ पियर लर्निंग कार्यशाला

एक रिर्पोट

10th-11th April 2007

Patna

निर्धनतम क्षेत्र नागरिक समाज (पैक्स)

प्रबंघन सलाहकार

Development Alternatives-PricewaterhouseCoopers (P) Ltd

111/9 Z, Kishangarh, Near Vasant Kunj

New Delhi-110070

Web: wwwempowerpoor.org

सहयोगकर्ता

DFID, UK

संकलन एवं आलेखन

Communicators for Development

SBCA-PACS (Bihar)

e-mail: cdgroup@rediffmail.com

This document is an output from a project funded by the DFID and managed by DA-PWC for the benefit of the developing countries.

The views expressed in this document are not necessarily of DFID or DA-PWC

प्राक्कथन

डेव्लपमेंट अल्टरनेटिव्स, निर्धनतम क्षेत्र नागरिक समाज (पैक्स) कार्यक्रम के माध्यम से भारत के छः राज्यों के 108 चयनीत निर्धनतम जिलों में से 93 जिलों में गरिबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत है। यह कार्यक्रम यूनाईटेड किंगडम स्थित डी एफ आई डी द्वारा वित्तपोषित है तथा 665 नागरिक समाज संगठन (सी एस ओ) इस कार्यक्रम से जुडे है।

बिहार में पैक्स 24 जिलों के 117 ब्लॉक के अति पीछडे 2,940 गांवों में कार्यरत है। इसका कार्यक्षेत्र एक ओर जहॉ कोसी – बागमती का बाढ प्रभावित क्षेत्र है तो दूसरी ओर गया–नवादा जैसा सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। पैक्स ने बिहार में अबतक लगभग 4500 स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया है जिनमें 62 हजार से अधिक सदस्या दलित एवं पीछडे वर्ग की महिलाएं हैं। देखा जाए तो बिहार का यह पहला कार्यक्रम है जिससे इतनी ज्यादा संख्या में दलित एवं पीछडे वर्ग की महिलाएं जुडी हैं।

पैक्स द्वारा सी एस ओ पार्टनर के क्षमतावर्द्धन एवं उनके विचारों के आदान–प्रदान हेतु प्रत्येक छः माह के अंतराल में पियर लर्निंग कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बिहार में आठवें पियर लर्निंग कार्यशाला का आयोजन राजधानी पटना में 10 से 11 अप्रैल 2007 को किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा हुई यथा –रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा, लघु ऋण, भूमि का अधिकार इत्यादि।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में होने वाले विभिन्न पहलुओं की चर्चा को सरल शब्दों में इस रिर्पोट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। आशा है रिपोर्ट को पढकर आपको बिहार में होनेवाले विभिन्न विकास कार्यो, पैक्स नेटवर्क द्वारा गरिबी उन्मूलन की दिशा में की गई कोशिश, उपलब्धियॉ और आगे बनाई जा रही रणनीति की विस्तृत जानकारी मिलेगी।

राकेश झा
स्टेट मैनेजर
पैक्स, बिहार

आभार

प्रोग्राम सपोर्ट टीम उन सभी का आभारी है जिन्होने आठवें पियर लर्निंग कार्यशाला को एक सफल ज्ञानवर्द्धक प्लेटफॉर्म बनाया। सबसे पहले हम बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैद्यनाथ महतो तथा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अनुप मुखर्जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होने इस कार्यशाला में अपने विचार रखे और श्रोताओं के सभी सवालों का जवाब दिया।

बिहार सूचना आयोग के सचिव श्री एस के मिश्रा के प्रति हम कृतज्ञ हैं जिन्होने सूचना के अधिकार से सबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। सर्वशिक्षा अभियान के प्रतिनिधि रविशंकर जी ने सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न पहलुओं से हम सभी को अवगत कराया जिसका हम आभार प्रकट करते हैं। हम सभी आई सी आई सी आई, एम पी आर एल पी, व बी आर एल पी के प्रतिनिधियों के भी आभारी हैं जिन्होने अपने अनुभवों को प्रतिभागीयों के मध्य बांटा।

हम सभी डा ए के बासु पैक्स पी एस सी चेयरमेन, श्रीमती किरण शर्मा, पैक्स डाइरेक्टर और पैक्स–कम्युनिकेशन के श्री अजित साही को धन्यवाद देते हैं जिन्होने अपने अनुभवों से सभी को अवगत कराया। हम, सभी सी एस ओ पार्टनर का आभार प्रकट करते हैं जिन्होने अपने दूर–दराज क्षेत्रों के अनुभव इस कार्यशाला में रखे। अंत में हम उन सभी पत्रकारों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होने इस कार्यशाला में हुए कार्यकलापों से आम जन को अवगत कराया।

प्रोग्राम सर्पोट टीम
पैक्स–बिहार

आठवॉ पियर लर्निंग रिर्पोट

विषय सूची

उद्घाटन सत्र 5

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना..8

सूचना का अधिकार 12

शिक्षा-सत्र..15

विशेष सत्र-भूमि का अधिकार, खाद्य सुरक्षा एवं पैक्स-कम्युनिकेशन................18

स्वयं सहायता समूह-जीविकोपार्जन एवं लघु ऋण...............................23

भविष्य की रूप रेखा..27

उद्घाटन सत्र

कार्यशाला की शुरूवात में पैक्स बिहार के स्टेट मैनेजर श्री राकेश झा ने सभी का स्वागत किया और गणमान्य अतिथियेां यथा बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैद्यनाथ महतो, ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी श्री अनुप मुखर्जी, डा ए के बासु, श्रीमती किरण शर्मा को दीप प्रजवलित कर कार्यशाला का उदघाटन करने के लिए आग्रह किया।

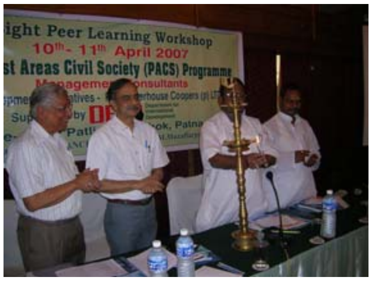

8वें पियर लर्निंग वर्कशॉप का उदघाटन करते हुए अतिथिगण।

दीप प्रज्जवलन के बाद राकेशजी ने श्रीमती किरण शर्मा से पैक्स कार्यक्रम के रास्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। किरणजी ने जानकारी दी कि डेभलपमेंट अल्टरनेटिव्स, पुअरेस्ट एरियाज सीविल सोसायटी (पैक्स) कार्यक्रम के माध्यम से भारत के छः राज्यों के 108 चयनीत निर्धनतम जिलों में से 93 जिलों में गरिबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत है। उन्होने बताया कि कार्यक्रम की शुरूवात 2001 में हुई तथा यह कार्यक्रम यूनाईटेड किंगडम स्थित डी एफ आई डी द्वारा वित्तपोषित है।

पैक्स से 665 सी एस ओ जुडे हैं जिन्होने इस कार्यक्रम के तहत 38 हजार से अधिक समुदाय आधारित संगठन का निर्माण किया है। इन संगठनों से लगभग 5.5लाख सदस्य जुडे है।

श्रीमती किरण शर्मा पैक्स कार्यक्रम के रास्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जानकारी देते हुए।

उन्होने यह भी बताया कि पैक्स कार्यक्रम का एक मुख्य उदेश्य सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है। सरकारी योजनाओं को बखूबी चलाने में सी एस ओ पार्टनर की भूमिका अहम है। उन्होने खुशी जाहिर की, कि वैसे क्षेत्रों में जहां पक्की सडक, बिजली, पानी, बैंक तक की व्यवस्था नहीं है वहां भी पैक्स कार्यकर्ताओं ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वायन में सफलता प्राप्त की है। उन्होने खुशी जताई की योजनाओं को लागू करने में सरकारी पदाधिकारियों का सहयोग भी सकारात्मक रहा है।

किरणजी ने पैक्स कार्यक्रम के रास्ट्रीय परिदृश्य की जानकारी दी तो राकेशजी ने बिहार में इसके तहत मिली सफलताओं के बारे में विस्तार से व्याख्या की। उन्होने बताया कि बिहार में अभी तक 24 जिलों के 117 ब्लॉक के 2,940 गांवों में काम किया जा चुका है। प्रायः वैसे गांवों का चयन किया गया है जिनमें दलित एवम पीछडे वर्ग के लोग निवास करते हैं। बिहार में अब तक 4,500 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा गरिबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास समिति, महिला दालान, दलित अधिकार मोर्चा जैसे समुदाय आधारित संगठन भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सी एस ओ पार्टनर्स को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। स्थानीय स्वशासन को सुचारू रूप देने की दिशा में पैक्स द्वारा किए गए अबतक के प्रयास सफल रहे और इसका परिणाम यह रहा कि पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद 60 प्रतिशत महिलाएं जीत कर आईं। पैक्स के द्वारा चलाए गए पंचायत सशक्तिकरण अभियान के परिणाम स्वरूप 2250 से ज्यादा पीछडे वर्ग के उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की।

श्री राकेश झा ,बिहार में पैक्स कार्यक्रम की स्थिति का वर्णण करते हुए।

गरिब महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन हेतु पैक्स ने स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर उन्हे बैंक से जोडने का सफल प्रयास किया है। बिहार के सी एस ओ पार्टनर ने नाबार्ड, डी आर डी ए से एक अच्छी पार्टनरशिप की शुरूवात की है और इससे जीविकोपार्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद प्राप्त हो रही है।

सी एस ओ पार्टनर ने सरकारी योजनाओं को पंचायत स्तर पर लागू कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होने अपने क्षेत्रों में दलित एवं पीछडे वर्ग के लोगों को अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, लालकार्ड दिलाने के अलावा जमीन के अधिकारों को प्राप्त कराने में सफलता पाई है।

प्रशिक्षण के जरिए कार्यक्रम को सशक्त करने की कोशिश की गई है। सीमित संसाधन में सी एस ओ पार्टनर कैसे फंड बढा सकते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग रखा गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शिक्षित करने की शुरूवात की गई है। अब तक 67 शिक्षा केन्द्र की शुरूवात की जा चुकी है। शिक्षा के जरिए परम्परागत पद्वति (जीविकोपार्जन और उसके वातावरण की शिक्षा) से महिलाओं को जोडने की भी कोशिश की गई है।

भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए राकेशजी ने संक्षेप में बताया कि पंचायत चुनाव में जीत कर आई महिलाओं को प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रास्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा सूचना के अधिकार को सरकार के साथ मिलकर सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह कोशिश की जा रही है कि कम से कम प्रिमियम में सामाजिक सुरक्षा दलितों एवं पीछडे वर्ग के लोगों को कैसे प्राप्त हो। अपने वक्तव्य को समाप्त करने के उपरांत राकेशजी ने बिहार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री वैद्यनाथ महतो को अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित किया।

श्री वैद्यनाथ महतो ने कहा कि भारत गांवों का देश है और देश का विकास तभी हो सकता है जब गांवों का विकास हो। उन्होने खुशी जताई कि पैक्स की कर्मभूमि गांव ही है अतः निश्चय ही यह गांव की तस्वीर बदल सकता है। उन्होने आशा जाहिर की, कि समाज के दबे कुचलों को आगे लाने में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी।

बिहार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री वैद्यनाथ महतो अपने विचार रखते हुए।

उन्होने कहा कि आज की तारिख में रोजगार गारंटी योजना पूरे राज्य में चल रहा है। रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका अहम है। जरूरत है इस दिशा में होनेवाले भ्रस्टाचार को रोकने कीं। पैक्स की ओर से भी कोशिश की जानी चाहिए कि जरूरतमंदों को काम मिले।

उन्होने जानकारी दी कि सरकार ने तो पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को पीछली पंक्ति से अगली पंक्ति में लाने का सराहनीय प्रयास किया। परन्तु महिलाओं का शिक्षित होना भी जरूरी है। अतः महिला शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है, और इस दिशा में पैक्स मददगार साबित हो सकता है।

उन्होने चिंता जताई कि उत्तरी बिहार में बाढ एक प्रमुख समस्या है। अनेक लोग गंडक, कोसी, सोन नदी में प्रति साल आनेवाले बाढ से घर से बेघर हो जाते हैं। अतः कोशिश की जानी चाहिए कि इस कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों को इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य योजनाओं से जोडा जाए। इसके अलावा राज्य के लोग कुस्ठ, कालाजार जैसी बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। अतः इन गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। अंत में उन्होने आशा जताई की पैक्स के उदेश्य और कार्य निश्चय ही बिहार राज्य के तकदीर बदलने में सहयोगी होगें।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अत्यंत महत्वकांक्षी पहल है जिसका उद्धेश्य न सिर्फ प्रत्येक ग्रामीण गरिब परिवार को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना है अपितु उनके किए गए कार्यों से गांव की पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। बिहार के गांवों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पैक्स कार्यक्रम तत्पर है और इसके महत्व को देखते हुए इस कार्यशाला में एक सत्र रोजगार गारंटी योजना पर रखा गया।

डा ए के बासु इस सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

इस सत्र में डा ए के बासु ने बताया कि वे रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ कानून बनने के पहले से जुडे हैं। उनके अनुसार यह योजना गरिब ग्रामीण परिवार को कम सौ दिन के रोजगार की सुरक्षा देता है। उन्होने बताया कि रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। इसे समानता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रायः देखा गया है कि प्रोजेक्ट के तहत मिटटी कटाई के काम पर जोर दिया जा रहा है लेकिन जरूरी नहीं है प्रत्येक गांव की भौगोलिक संरचना के आधार पर मिटटी कटाई सही हो अतः ऐसे काम को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उस गांव की जरूरत हो जैसे पत्थर की कटाई करके बरसात के पानी को जमा करके रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इन सब कार्यों से मेहनत एवं समय दोनो का सदुपयोग हो सकेगा।

श्री बासु ने कहा कि जितने भी पैक्स पार्टनर हैं उनको ग्राम सभा की स्वतंत्र भूमिका को देखते हुए यह तय करना चाहिए वे इस योजना को लागू करने में किस तरह की मदद कर सकते हैं। श्री बासु के संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण भाषण के बाद पैक्स सी एस ओ फकीराना सीस्टर्स ने रोजगार गारंटी योजना में बेतिया जिले में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया जो इस प्रकार है-

जिले की स्थिति-

- पश्चिमी चंपारण में अब तक कुल1,91,860 जॉब कार्ड का वितरण हुआ है।

- कुल खर्च 216.94 करोड रूपए हुए एवं 862 योजना में से 153 योजना पर कार्य किया गया।
- सरकारी कर्मचारी, पंचायत सेवक एवं आम जनता के मध्य जागरूकता की कमी है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्षेत्र में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। बानोछापर ग्राम पंचायत में तो अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किए गए हैं।

एन आर ई जी एस पर कल्स्टर प्रेसेन्टेशन

- अनेक क्षेत्रों में काम शुरू किए तो गए परन्तु इन्हे पूरा नहीं किया जा सका। मजदूरी का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया और न ही मजदूरी का भुगतान समय पर किया गया।
- ज्यादातर मुखियाओं को इस योजना में कोई फायदा नजर नहीं आता है इसलिए वह इस योजना के क्रियान्वयन में कोई रूची नहीं लेता है।
- मजदूरों के लिए वेतन का भुगतान बैंक एकाउंट के जरिए किया जाना चाहिए।
- सरकारी स्तर पर पारदर्शिता को बढावा देना चाहिए।

फकीराना सीस्टर्स के द्वारा किए गए कार्य–

फकीराना सीस्टर्स ने ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दी और इसके तहत उन्होने नवम्बर 2006 में रोजगार अधिकार यात्रा का आयोजन किया। इसके अलावा उन्होने 10 ग्राम पंचायत के 32 गांव में सघन अभियान चलाया जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 21,888 आवेदन फार्म भरे गए और लगभग 4589 जॉब कार्ड का वितरण हुआ। आज फकीराना सीस्टर्स के द्वारा बनाए गए दबाव का परिणाम है कि पंचायत सदस्य अब इस योजना की ओर ध्यान दे रहे हैं।

फकीराना सीस्टर्स के प्रतिनिधि ने अंत में कठिनाईयों पर चर्चा करते हुए बताया कि वहाॅ के सरकारी पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं। उन्हे प्रशिक्षण देने की आवश्यक्ता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बढावा देना चाहिए ताकि वो योजना निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और ग्राम सभा की मिटिंग में अपने मत को रख सकें।

इसके बाद महिला विकास समिति के प्रतिनिधि ने रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर अपने अनुभवों से सबको अवगत कराया। उन्होने नवादा जिले के रजौली ब्लॉक के 4ग्राम पंचायत के 20 गांवों में सर्वे किया था जिसके परिणाम कुछ इस प्रकार हैं-

- 316 जॉब कार्ड का वितरण किया गया और जॉब कार्ड में पाईं गई गलतियों को सुधारा गया।
- दिसंबर 2006 से इस दिशा में कार्य शुरू हो गए हैं और अभी मिट्‌टी की कटाई से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।
- मजदूरी भत्ता न मिलने पर आवेदन दिए गए हैं परन्तु उसका अबतक कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ।
- लगभग 75 प्रतिशत जॉब कार्ड प्राप्तकर्ता को रोजगार नहीं मिला है। जिन्हे काम मिला भी हैउन्हे भी औसतन15 दिनों से ज्यादा का काम नही मिला है। मजदूरी के भुगतान में भी अनियमितता पाई गई है।
- पीने के पानी की व्यवस्था तो लगभग सभी क्षेत्रों में पाई गई परन्तु बच्चों के लिए क्रेज की व्यवस्था नहीं देखी गई और न ही फर्स्ट एड की व्यवस्था पाई गई।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जानकारी का आभाव पाया गया।

श्री अनुप मुखर्जी, बिहार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने पैक्स सी एस ओ के अनुभवों को सुना और खुशी जताई कि इनके अनुभवों से वास्तविकता की जानकारी मिलती है। उन्होने माना की बिहार मे व्यवस्था और सरकारी फील्ड स्टॉफ की बेहद कमी है। कई पंचायत तो ऐसे भी हैं जहां पंचायत सचिव ही नहीं है। स्टॉफ के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यक्ता है। जनता के मध्य जागरूकता का आभाव है क्योंकि ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं, उनकी इस कमजोरी का फायदा वहां के दबंग उठाते हैं अतः ग्रामीणों की शिक्षा के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा।

श्री अनुप मुखर्जी अपने विचार वयक्त करते हुए।

पंचायत सदस्यों एवं स्थानीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके-अनुप मुखर्जी, सचिव-बिहार ग्रामीण विकास विभाग

सरकारी स्तर पर स्टॉफ की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक पंचायत में रोजगार सचिव, दस पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक, एक कनीय अभियंता, प्रखंड स्तर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और

ब्लॉक प्रोग्राम को–ऑर्डिनेटर की बहाली के लिए परिक्षा ली जा रही है। कोशिश है कि जून माह के अंत तक इनकी बहाली हो जाएगी।

पंचायत प्रतिनिधियों एवम कर्मचारियों के अलावा स्थानीय एन जी ओ के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। भ्रस्टाचार रोकने के लिए इस योजना से ठेकेदारों को दूर रखा गया है। सडक निर्माण एवं मिटटी कटाई के अलावा सिंचाई या जल संसाधन से संबंधित कार्य की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में देखा गया है कि गैर सरकारी संस्था एवं को–ऑपरेटिव्स की छवि अच्छी नही है। गैर सरकारी संस्था की भूमिका बढे इसके लिए जरूरी है की ऐसी व्यवस्था बने जिससे एक गैर सरकारी संस्था दूसरे गैर सरकारी संस्था के काम पर निगाह रख सके, ताकि वे अपने काम को बखूबी निभा सकें।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक सरकार एवं उससे जुडी संस्थाओं से उनके शासकीय कार्यों या निर्णयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम 12 ऑक्टूबर 2005 से देशभर में लागू किया गया। इस अधिकार का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। हलॉकि बिहार पहला राज्य है जहॉ इस अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु कॉल सेंटर का निर्माण किया गया परन्तु बिहार के गांवों में अशिक्षता एवं जागरूकता की कमी के कारण इस अधिकार का पूर्ण रूप से सदुपयोग नही हो पा रहा है।

श्री एस के मिश्रा,बिहार सूचना आयोग के सचिव,श्रीमती किरण शर्मा एवं श्री राकेश झा।

इस सत्र में सबसे पहले मधुबनी क्षेत्र में कार्यरत "सैड" संस्था (पैक्स सी एस ओ BSS का एक नेटवर्क पार्टनर) के प्रतिनिधि ने अपने विचार रखे। उन्होने बताया कि इस अधिकार के बारे में उन्हे पैक्स द्वारा मार्च 2006 में आयोजित पियर लर्निंग वर्कशॉप में जानकारी मिली । इसके बाद उनकी संस्था ने झंझारपुर के निवासी मजलूम की समस्या को अपने हाथ में लिया। मजलूम को इन्दिरा आवास नहीं मिला था। सूचना के अधिकार के तहत यह जानने की कोशिश की गई कि मजलूम को इन्दिरा आवास क्यों नहीं मिला। परिणाम यह निकला की मजलूम को आवेदन के 20 दिन के अंदर ही इस योजना के तहत आवास देने के लिए चयनित कर लिया गया। संस्था की यह पहली जीत थी।

लोक सभा में सूचना का अधिकार विधेयक 11मई 2005 को पारित किया गया।
12 ऑक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ।

उन्होने कहा कि इसके पश्चात सूचना के अधिकार के प्रति जनजागरूकता बढाने के लिए मधुबनी के पैक्स से जुडी संस्थाओं ने सूचना प्रहरी का निर्माण किया। आज सुचना प्रहरी मधुबनी जिले के झंझारपुर, लखनपुर, मधेपुर, अंग्रथारी, फुलपरास ब्लॉक में कार्यरत है। आज की तारिख में लगभग 200 कार्यकर्ता सूचना प्रहरी के सदस्य हैं जिनमें लगभग 40 दलित एवं पीछडे वर्ग से संबंधित हैं। अब तक सूचना प्रहरी ने लगभग 700 आवेदन फार्म भरने में दलितों की मदद की है, और लगभग 150 आवेदन फार्म के संतुस्ट जवाब उन्हे

प्राप्त हो चुके हैं। जिन आवेदनों के जवाब नहीं आए हैं सूचना प्रहरी उनपर अपील फाईल कर रहे हैं।

सत्र में अपने अनुभव व्यक्त करते संस्था के प्रतिनिधि

“सैड” के प्रतिनिधि ने कहा कि मधुबनी में पैक्स से जुडी संस्थाओं ने अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के साथ राज्य के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया कि सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और राज्य स्तरिय कॉल सेंटर का निर्माण किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप 29 जनवरी 2007 को राज्य सरकार ने भारत का पहला कॉल सेंटर खोला। इन प्रयासों के बावजूद आज भी आम जन को आवेदन फाईल करने के बाद रीसीविंग लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा पदाधिकारी भी मदद नहीं करते। साथ ही कॉल सेंटर के नंबर बिहार के अनेक जिलों से नहीं लगते हैं।

“सैड” के प्रतिनिधि ने कहा कि इन समस्याओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए आम जन के मध्य सघन जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसके अलावा पदाधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। अंत में उन्होने कहा कि राज्य स्थित कमीशन को पैक्स नेटवर्क के साथ मिलकर काम करना चाहिए तभी इस अधिकार का उपयोग दबे-कुचले ग्रामीण आसानी से कर सकेगें।

इस प्रस्तुति के बाद मधुबनी के ही पैक्स सी एस ओ “जी पी एस भी एस” के प्रतिनिधि ने सोशल ऑडिट पर किए गए प्रयासों से प्रतिभागीयों को अवगत कराया। उन्होने बताया कि सोशल ऑडिट एक माध्यम है जिसके जरिए सार्वजनिक जीवन में सरकार के कार्यो की, संस्था के कार्यो की जवाबदेही तय की जा सकती है। बिहार में पहली बार इसका प्रयोग मधुबनी में किया गया जिसमें आम जन के साथ ही साथ वहां के डी डी सी, चेयरमेन, जिलापरिषद, गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा मीडिया ने भाग लिया। इसके परिणाम को डॉक्युमेंट किया गया और विकास से जुडे सभी अधिकारियों के मध्य इसका वितरण किया गया ताकि सरकार भी अपने कार्यो में खुलापन लाए।

उन्होने सरकारी तंत्र एव संस्थाओं को सुझाव दिया कि वे जब प्रोजेक्ट डिजाईन करें तो उसमें खुलापन लाएं ताकि जनता की भागीदारी बढे। भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होने जानकारी दी कि उनकी संस्था एक टीम बना रही` है जो पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट के काम को आगे बढाने में मदद कर सके।

तत्पश्चात श्री एस के मिश्रा, बिहार सूचना आयोग के सचिव ने अपने अनुभव इस सत्र में रखे। उन्होने बताया कि सूचना का अधिकार लोक प्राधिकार है। इसके दायरे में वैसे सभी क्षेत्र आते हैं जो किसी न किसी रूप से सरकार से जुडे हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर के सभी सरकारी विकास कार्यालय, शिक्षा, पुलिस, एन जी ओ (जिनको सरकार फंड देती है) इत्यादि आते हैं।

इस कानून का सेक्शन 4 सरकारी विभाग को अपने कार्यों में खुलापन लाने का निर्देश देता है। इस खुलापन से आम जन को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यक्ता ही महसूस नहीं होगी। उन्होने बताया कि ;पि आई ओ द्धका गठन प्रत्येक सरकारी कार्यालय में किया जा चुका है। गैर सरकारी संगठनों को चाहिए कि वे भपी आई ओ को पहचाने और उनकी पहचान जनता को कराएं। उन्हे चाहिए कि वे सूचना शिविर बनाकर लोगों को सूचनाएं दें। इस कानून का सेक्शन 26 राज्य सरकार को बाध्य करता है कि वो प्रशिक्षण शिविर बनाए ताकि लोग इसका प्रयोग करना जान सकें लेकिन अफसोस की बात है कि प्रयास नगण्य है।

> *“सभी पी आई ओ को नेमप्लेट रखने का आदेश दिया गया है ताकि आम जन उन्हे पहचान सकें। सूचना के अधिकार को सुचारु रुप देने के लिए संस्थाओं को आगे आना होगा।”–एस के मिश्रा, राज्य सूचना आयोग के सचिव।*

उन्होने आगे बताया कि यदि “पी आई ओ” दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। यह सजा 250 रु से लेकर 25 हजार रु तक भी हो सकता है। उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों को अवगत कराने में मिडिया को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होने आगे कहा कि कमीशन के साथ गैर सरकारी संगठन मिटिंग करें, वे मिलकर काम करें, सुझाव दें तभी यह कानून बेहतर दिशा में चलेगा। अंत में उन्होने कहा कि कमीशन का निर्माण दिसंबर 2006 में हुआ है और अब तक 600 मामले आ चुके हैं जिसमें लगभग 292 मामलों का निपटारा हो चुका है।

शिक्षा-सत्र

देश के पीछ्डेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। अज्ञानता की वजह से ही गरिब विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। पैक्स कार्यक्रम के उद्वेश्यों की पूर्ति में अशिक्षा ही सबसे बडी बाधा है अतः पैक्स के द्वारा शिक्षा को बढावा देने के लिए ताराक्षर के नाम से शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ताराक्षर कार्यक्रम को चलाने में ताराहाट का सहयोग प्राप्त हुआ है।

शिक्षा सत्र के दौरान सी एस ओ प्रतिनिधि

इस सत्र की शुरुवात ताराहाट के प्रतिनिधि ने की। उन्होने बताया कि वर्तमान समय में ताराहाट भारत के सात राज्यों मे 230 केन्द्रों के जरिए अपने अभियान को चला रहा है। कार्यक्रम में कंप्युटर के जरिए प्रौढ शिक्षा को बढावा दिया जा रहा है और महिलाओं का समूह बनाकर उन्हे शिक्षित किया जा रहा है।

ताराहाट के पार्टनर रास्ट्रीय एवं अन्तर्रास्ट्रीय स्तर के संस्था हैं जैसे उषा इन्टरनेशनल, सेल्फ फाउन्डेशन, आई सी आई सी आई बैंक, ईसरो, फीलिप्स वगैरह। इस कार्यक्रम के तहत टेली एडजुकेशन कार्यक्रम के जरिए प्रौढ शिक्षा दी जाएगी। इसमें ग्रामीणों को विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान दिए जाएंगें जैसे कृषको को जानकारी दी जाएगी कि किस मौसम में किस फसल का उत्पादन किया जाए एवं कौन सी फसल ज्यादा उत्पाद कर सकती है। इसके अलावा टेली मेडीसीन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के मरीज भी अंतर्रास्ट्रीय स्तर के डॉक्टरों की सुविधा कंप्युटर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगें।

2001 की जनगणना के आधार पर -
पूरे भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 55प्रतिशत है।
बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 34प्रतिशत है।

बिहार में अब तक इससे 28 पार्टनर जुड चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार में सूचना एवं प्रसारण तंत्र बिल्कुल नगण्य हैं ताराक्षर के माध्यम से सूचना तंत्र से लोग आसानी से जुड सकते हैं।

ताराहाट के प्रस्तुतिकरण के बाद एडजुकेशन एवं सोशल ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के रंजित कुमार ने पैक्स की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शिक्षित बनाने के तरिकों पर अपने विचार रखे। उन्होने बताया कि एडजुकेशन एवं सोशल ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के माध्यम से बिहार और झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियो को मात्र 8 माह में परिक्षा की तैयारी करवा दी जाती है। इस कार्यक्रम की शुरूवात 2005 में की गई। यह काफी लो बजट का प्रोग्राम है। इसके अनुभव उत्साहवर्द्धक रहे, प्रत्येक जिले में को-ऑर्डीनेटर एवं शिक्षक की व्यवस्था की गई। उन्होने जानकारी दी की अब तक 18 जिलों के लगभग 10 हजार विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत पढाया जा चुका है।

उन्होने बल दिया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शिक्षित करना अत्यावश्यक है। जरूरत है वैसे लोगों को शिक्षित करने की जो कार्यरत तो हैं परन्तु अनपढ है। इसलिए इस अभियान का नाम दिया गया है जागे सो आगे। उन्हे पढाने के लिए साइको एनालिटिकल पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 27 एस एच जी सदस्यों का एक केन्द्र बनाया जाएगा। उन्हे शिक्षा, स्वास्थ, पंचायतीराज, बैंक, सरकारी ऑफीस से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि वे अक्षर ज्ञान, कैलेण्डर देखने से संबंधित ज्ञान, घडी देखने की जानकारी के अलावा सरकारी योजानाओं की बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकें। कोशिश की जानी चाहिए कि इस कार्यक्रम का संचालन सही तरिके से हो जिससे शिक्षा के मामले में सही रिर्पोट प्राप्त हो सके।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रतिनिधि रविशंकर जी ने अपने विचार रखे। उन्होने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य था कि 2005 तक सभी 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों का नामांकण स्कूल में सुनिश्चित हो और 2010 तक उन बच्चों को कम से कम आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हो।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रतिनिधि श्री रविशंकर अपने विचार रखते हुए।

जैसा की हम सभी जानते हैं बिहार की साक्षरता दर निम्न है, यहॉ के मात्र 60प्रतिशत पुरूष और 33 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। चूंकि आधी आबादी निरक्षर है इसलिए शिक्षा की व्यवस्था युद्ध-स्तर पर की जानी चाहिए। 2006 तक लगभग 54 हजार स्कूल थे जहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सकती थी, इस साल 15 हजार 548 नए स्कूल खोले गए। 2006 की जनगणना के अनुसार 6-14 आयुवर्ग के बच्चों

की आबादी बिहार में 1 करोड 96 लाख हैं जिनमें से एक करोड बहतर लाख बच्चे शिक्षा पा रहे है। पूरे भारत में विद्यालय से बाहर सबसे ज्यादा बच्चे बिहार में ही हैं अतः इस चुनौति को स्वीकार करते हुए इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है।

बेहतर शिक्षा के लिए छात्र, शिक्षक का अनुपात 40:1 होना चाहिए अर्थात 40 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए परन्तु बिहार में यह 63:1 है अर्थात 63 छात्र पर 1 शिक्षक है जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है।

इसके बाद उन्होने सर्वशिक्षा अभियान को चलाने में बाधा पहुंचाने वाले कारक का उल्लेख किया। उनके अनुसार स्कूल में कमरों का आभाव होना सबसे बडी बाधा है। मानक है कि 40 बच्चों पर एक कमरा होना चाहिए परन्तु यहां 91 बच्चों पर एक कमरा है। इसे सुधारने के लिए एक साथ 61 हजार कमरों का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। बिहार के 15 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था ही नही है। 42 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नही है। इन बाधाओं को युद्ध स्तर पर दूर करने की कोशिश की जा रही है।

सर्वशिक्षा अभियान राज्य में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत है। इसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री महोदय है। आज बिहार राज्य बालिकाओं को विद्यालय से जोडने पर महत्व दे रहा है। इसके अलावा बच्चेंा को आधुनिकी करण से जोडने की कोशिश भी की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका अहम है अब तक 206 गैर सरकारी संस्था इससे जुडे है। अंत में उन्होने पैक्स से जुडी सभी संस्थाओं से शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को सहयोग देने का आग्रह किया ।

विशेष-सत्र

भूमि का अधिकार

देशकाल सोसायटी के श्री संजय कुमार ने इस सत्र की शुरुवात की। उन्होने कहा कि बिहार के पीछडेपन का बहुत बडा कारण भूमिहिनता है लेकिन आज तक इस दिशा में सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं।

भूमि के अधिकार सत्र में अपने विचार रखते प्रतिनिधि।

पैक्स के तहत देशकाल सोसायटी ने अप्रैल06 में यह जानने का प्रयास किया कि गया जिले में 1947 के कानून की क्या स्थिति है। 19,500 घरों का सर्वे करने पर पता चला कि लगभग 8000 परिवारों को पर्चा या परवाना अब तक नहीं मिला है। पर्चा या परवाना किसी जमीन के सरकारी कागजात को कहा जाता है। इस कागजात को प्राप्त करने के बा गरिब को एक पहचान मिल जाती है और उसे सरकार के सभी योजनाओं को प्राप्त करने में सुविधा होती है। पर्चा प्राप्त करने की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर तक में निपट जाती है परन्तु परवाना प्राप्त करने के लिए 18 जगहों में संचिका जाती है। जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कानून कितना भी सरल हो उसकी प्रक्रिया काफी जटिल है और आज उस प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। उन्होने बताया कि देशकाल सोसायटी ने पीछले एक साल में लगभग 800 गरिबों को पर्चा या परवाना दिलाने में मदद की है।

उन्होने कहा कि इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मल्टीपल पार्टनरशिप की जरूरत है। साथ ही आम जन एवं स्थानीय, पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर के अधिकारियों के मध्य संवाद भी स्थापित होने चाहिए। संभव हो तो गांव स्तर पर सरकारी कैंप लगाए जाएँ और भूमि सुधार से जुडे अधिकारी एवं आवेदक उस कैंप में उपस्थित हों। इस प्रकार वहॉ आवेदक को जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही नही पडेगी। कम समय में ही भूमि पर उन्हे अधिकार मिल जाए। बिहार सरकार के पास भूमिसुधार से जुडा कोई डेटा

बैंक नहीं है। एक सटीक एवं सरल डेटा बैंक बनाने की जरूरत है और इसके अलावा भूमि अधिकार से संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी जरूरी है।

एकता परिषद के प्रदीपजी ने बताया कि एकता परिषद बिहार के 15 विधान सभा क्षेत्रों में पैक्स प्रोजेक्ट के तहत भूमि सुधार के मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होने भूमि सुधार से संबंधित कुछ समस्याओं का वर्णण किया ।उन्होने कहा कि इस आंदोलन में कुछ समस्याएं आती है जो निम्नलिखित हैं-

- बिहार के लगभग 30 लाख परिवार भूमिहिन हैं।
- भूदान, गैरमजूरवा जमीन, सीलिंग की जमीन पर सरकार जब पट्टा देती है तो उसका सीमांकण नहीं कराती है और न ही पट्टाधारी को जमीन की स्थिति बताती है। इस प्रक्रिया से पट्टाधारी को काफी असुविधा होती है।
- भूदान के तहत 21 लाख एकड जमीन प्राप्त हुई थी। लेकिन 49 प्रतिशत भू-धारियों का नाम रजिस्टर में दर्ज ही नही है। 21 प्रतिशत लोगों को परवाना तो मिला है परन्तु अंचल में उसका नोटीफीकेशन ही नहीं है।
- देखा जाए तो 90 प्रतिशत मुसहर भूमिहिन हैं और वो अघोषित रूप से बंधुआ मजदूर की तरह जीवन यापन कर रहे हैं।

इन समस्याओं को देखते हुए एकता परिषद ने कुछ लक्ष्य बनाए जो इस प्रकार हैं-

- वैसे भूमिहिन जिन्हे भूदान आंदोलन में परवाना मिला है उन्हे पर्चा दिलाने की कोशिश की जा रही है।
- जमीन पति-पत्नी दोनों के नाम पर होने चाहिए। यदि विधवा एवं तलाकशुदा महिला हो तो जमीन उसके नाम दिया जाना चाहिए।
- इस पूरी प्रक्रिया में नई सरकार के साथ साकारात्मक संवाद बने इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदीप जी ने बताया कि भुमि सुधार अभियान को तेज करने के लिए 29 जून 06 को अंचल एवं जिला स्तर पर धरना दिया गया। पटना में 24-25 सितम्बर 06 को घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन चलाया गया जिसमें हजारों भूमिहिनों ने भाग लिया। इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव रहा और राजस्वमंत्री ने समयबद्ध कार्यवाही शुरू करने की बात पर जोर दिया।

परन्तु इन सारे प्रयासें के बावजूद गांव में भूमिहिनता बढती जा रही है जो इस अभियान के लिए चुनौती है। भविष्य की योजना है कि भूमि एवं जीविकोपार्जन के लिए सतत् प्रयास

किया जाए। इस योजना के तहत सरकार एवं राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद को बढावा दिया जाना चाहिए। उन्होन कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रत्येक भूमिहिन को कम से कम 4 डीस मिल जमीन प्राप्त हो, क्योंकि बिना आवास बिहार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा

पैक्स बिहार के रिसोर्स संस्था के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार ने इस सत्र की शुरूवात की। उन्होने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा सुप्रिम कोर्ट की एक महत्वकांक्षी पहल है। सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को भूखमरी से बचाने की कोशिश कर रही है। वे योजनाएं मुख्यतः हैं - अंत्योदय योजना, एन आर ई जी एस, आई सी डी एस, मीड डे मील, नेशनल मेटरनिंटी बेनिफीट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अन्नपूर्णा योजना, फेमली बेनिफिट योजना इत्यादि। कोशिश की जा रही है कि इन योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए।

खाद्य सुरक्षा सत्र कें दौरान सी एस ओ पार्टनर

इसके लिए जनसुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा लाभुक की पहचान की जा रही है। उनके अनुसार हमें दखना चाहिए कि हमारे क्षेत्रों में योजना के आधार पर काम हो रहा है अथवा नहीं। यदि काम नहीं हो रहा हो तो हमें कमेटी बनाकर रिर्पोट करनी चाहिए। रास्ट्रीय स्तर पर नेशनल फूड गारंटी एक्ट का निर्माण किया गया है, कोशिश की जानी चाहिए कि स्थानीय स्तर पर फूड बैंक और वाटर बैंक का निर्माण हो साथ ही बाढ एवं आकाल की स्थिति में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होने बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविकोपार्जन की प्रक्रिया को आगे बढाया जा सकता है। सूचना का अधिकार एवं एन आर ई जी एस भी खाद्य सुरक्षा की दिशा में कारगर सिद्व हो सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्य योजनाएं हैं-अंत्योदय योजना,एन आर ई जी एस,आई सी डी एस ,मीड डे मील,ओल्ड एज पेंशन इत्यादि।

उन्होने जानकारी दी की इस क्षेत्र में नेशनल फूड गारंटी एक्ट बनाया जा रहा है जिसे देश की स्वंत्रता की 60वीं सालगिरह पर पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पैक्स कार्यक्रम एवं फूड सीक्युरीटी विभाग द्वारा फूड सीक्युरीटी पर एक अध्ययन किया जा रहा है। कवरेज के

लिए प्रत्येक राज्य के दो जिले के दस गॉव चुने गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य बेसलाईन इन्फॉरमेशन को निम्न बिंदू प्राप्त करना है –

- प्रोग्राम का क्रियान्वायन जमीनी स्तर पर किस प्रकार हो रहा है।
- यह कितने लोगों तक पहुंच पाया है।
- इसका कितना असर पडा है।

इस अध्ययन सात कार्यक्रम को इस में लिया गया है–

- ❖ अंत्योदय योजना।
- ❖ एन आर ई जी एस
- ❖ आई सी डी एस
- ❖ नेशनल मेटरनिंटी बेनिफीट स्कीम
- ❖ नेशनल फैमली बेनिफीट स्कीम
- ❖ मीड डे मिल।
- ❖ ओल्ड एज पेशन स्कीम

बिहार में दो जिले चुने गए हैं वे हैं – नवादा और सहरसा – तथा यहॉ तीन संस्था काम कर रही हैं – ग्राम निर्माण मंडल पांच गांव में, महिला विकास समिति 5 गांव में एवं मंडन भारती समिति 10 गांव में काम कर रही है।

कम्युनिकेशन एवं एडवोकेसी

इस सत्र में रास्ट्रीय स्तर पर पैक्स कम्युनिकेशन से जुडे अजित साही ने व्यक्त किया कि पैक्स कार्यक्रम ने देश की गरिबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी सराहनीय काम किए हैं परन्तु देश की आम जनता इन उपलब्धियों से अनभिज्ञ है। मिडिया एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा पैक्स से जुडे तमाम विषयों को और उसकी उपलब्धियों को लोगेां के सामने लाया जा सकता है –– जैसे की बिहार के बाढ या सुखाड क्षेत्रों में हो रहे पैक्स के कार्यक्रम के प्रयास, के अलावा भू माफियाओं के खिलाफ जो लडाई लडी गई है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बतलाया जा सकता है।

पैक्स कार्यक्रम निकट भविष्य में स्वयं सहायता समूह की साहसी महिलाओं की एक कार्यशाला दिल्ली में करवा रहा है। उस कार्यशाला में उन महिलाओं पर तवज्जोह दिया जाएगा जिन्होने गरिबी से हिम्मत नहीं हारी और अन्याय के विरुद्ध मुहिम छेडा है। उन्होने यह भी बताया कि गांधी जयंति के आस–पास दिल्ली में एक मेला लगाया जाएगा जहां

गरिब जन अपनी बात रख सकेगें। कोशिश की जाएगी की देश के प्रधानमंत्री के साथ एक मिटिंग रखा जाए जिसमें गरिब जनता अपने विचारों को उनके सामने रख सकें।

स्वयं सहायता समूह–जीविकोपार्जन एवं लघु ऋण

सत्र के दौरान सी एस ओ प्रतिनिधि

सत्र की शुरूवात पैक्स सी एस ओ "एन बी एस के पी के" के प्रस्तुतिकरण के साथ हुई। इस संस्था के प्रतिनिधि ने प्रस्तुतिकरण के पहले याद दिलाया कि पैक्स कार्यक्रम के जरिए अब तक 4500 से अधिक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है और इससे लगभग 62 हजार महिलाएं जुडी हैं। पैक्स का उद्धेश्य है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। और इसी उद्धेश्य के तहत एन बी एस के पी के ने नालंदा जिले के गिरियक एवं सीलाव ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह बनाने की शुरूवात की। वहॉ 103 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं जिनमें 79 समूहों का अपना बैंक एकाउंट है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हे सिलाई–कटाई, एवं अगरबत्ती निर्माण जैसे व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मगर इन प्रयासों के बावजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी।

पैक्स की तरफ से इस क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकण किया गया। इस मूल्यांकण के दौरान पाया गया कि बैंक लिंकेज लगभग बंद हो गए थे और महिलाएं बाहर से लोन ले रहीं थीं। आय के साधन में वृद्धि नही हो रही थी। लोगों में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। मौसम के आधार पर खर्च का विश्लेषन नही हो रहा था।इस मूल्यांकण के बाद पैक्स आर ओ – सी पी एस एल ने संस्था के कार्यकर्ता एवं समूह की महिलाओं क साथ बैठकर विचार–विमर्श किया और बैंक के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। इस संयुक्त प्रयास के कुछ दिनों के बाद ही एक साथ 21समूहों का बैंक लिंकेज हुआ। आज इन समुहों की कुल बचत लगभग 66 हजार है। महिलाएं जहॉ पहले मिटिंग से कतराती थीं आज वे खुद नाबार्ड एवं अन्य बैंको के साथ मिटिंग करती है। अंत में एन बी एस के पी के के प्रतिनिधि ने अपने अनुभवों की व्याख्या करते हुए कहा कि समूहों की छोटी–छोटी परेशानीयों को सबसे पहले दूर करना चाहिए साथ ही कोशिश की जानी चाहिए कि समूह की मांग के आधार पर उन्हे जीविकोपार्जन से जोडना चाहिए।

इस प्रस्तुतिकरण के बाद गया जिले में कार्यरत समन्वय तीर्थ संस्था के प्रतिनिधि ने अपने कार्यानुभव बताए। उन्होने बताया कि यह संस्था गया जिले में पैक्स कार्यक्रम के तहत तीन पंचायत के 21गांव में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वालंबन की दिशा में कार्यरत है।

संस्था के द्वारा अब तक 37 स्वयं सहायता समूह बनाए गए जिनमें लगभग 1008 सदस्य हैं और उनकी बचत लगभग 1 लाख 43 हजार रूपये है। समूह की महिलाएं आर्थिक स्वालंबन के लिए सब्जी बेचने का काम कर रही हैं, कुछ महिलाएँ रोजमर्रा के काम से भी जुडी हैं। कुछ समूह नाबार्ड एवं ग्रामीण बैंक से लोन लेकर अपना रोजगार चला रही हैं। पैक्स द्वारा चलाए गए पंचायत सशक्तिकरण अभियान के परिणाम स्वरूप स्वयं सहायता समूहों की 33 महिलाएं ग्राम पंचायत में चुनकर आई हैं।

उन्होने गंगा महिला समूह का उदाहरण दिया और जानकारी दी कि इस समूह की एक सदस्या बुधिया देवी की जमीन जमींदार के पास बंधक थी। महिलाओं की बचत से जमा हुए 15 हजार रु से जमीन को छुडाया गया और आज समूह की महिलाएं संयुक्त रूप से उस जमीन पर खेती कर रही हैं। अंत में समन्वय तीर्थ के प्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र के कुछ कठिनाईयों का वर्णण किया। उन्होने कहा कि इस जातिगत विषमता वाले क्षेत्र में संगठन बनाना काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की 87 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर है। अतः उनकी शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है।

सी एस ओ प्रतिनिधि अपने विचार रखते हुए

समन्वय तीर्थ के प्रस्तुतिकरण के बाद पैक्स सी एस ओ कंचन सेवा आश्रम के प्रतिनिधि ने अपने अनुभवों को सत्र में रखा। उन्होने बताया कि उनकी संस्था मुज्जफरपुर जिले के 4 ब्लॉक के 8 पंचायत में कार्यरत है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन के लिए समूह के सदस्यों को लघुऋण से जोडा जा रहा है और साथ ही उन्हे सोशल स्क्युरीटी स्कीम के लाभ से अवगत कराया जा रहा है।

उनहोने बताया कि आर्थिक स्वालंबन की दिशा में इन्सोरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए पहली बार बिरला सन लाईट के साथ 1000 पॉलिसी से समूह के सदस्यों को जोडा गया। माइक्रोइन्सोरेंस की दिशा में कंचन सेवा आश्रम को अनेक संस्थाओं जैसे -इरमा, साधन, बर्ड इत्यादि द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होने बताया कि स्थानीय सूदखोर उनके कार्य क्षेत्र में आनेवाली सबसे बडी परेशानी है।

इस सत्र के दूसरे भाग में एम पी आर एल पी के श्री शिवेन्द्रनाथ पांडे, आई सी आई सी आई के श्री जिमी एवं बी आर एल पी के श्री मुकेश ने अपने अनुभव व्यक्त किए। एम पी आर एल पी (MPRLP) के प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के संचालन में मध्यप्रदेश सरकार को डी एफ आई डी का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मध्यप्रदेश के वैसे जिलों में चलाया जा रहा है जहां साक्षरता दर निम्न है और जहां की आबादी का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति एवं जन जाति का है।

सत्र में अपने विचार रखते प्रतिनिधि

इस पूरे प्रोजेक्ट को दो चरणों में बांटा गया है । पहला चरण 30 जून 04 से 30 जून 07 तक का है जो इस प्रोजेक्ट का लर्निग फेज है तथा दूसरा चरण 1 जुलाई 07 से 2012 तक चलेगा। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्वेश्य है सरकारी योजनाओं को गरिब जनता से जोडना। प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के 8 जिले के 822 गांव में यह परियोजना चल रही है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जहॉ 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को बखूबी चलाया जा रहा है। यहां की पंचायती राज व्यवस्था चार स्तर में बंटी है। ये हैं जिला पंचायत, जनपत पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा।

अध्ययन के दौरान देखा गया कि प्रारंभ में लोग ग्राम सभा में नहीं जाते थे, यदि ग्राम सभा का संचालन किया भी जाता था तो महिला एवं दलित अनुपस्थित रहे थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब साल में कम से कम 10 ग्राम सभा तो होते ही हैं । प्रोजेक्ट के तहत ग्राम सभा को फंड दिया जाता है और उन्हे अपने तरिके से पैसे खर्च करने को कहा गया। ग्राम सभा ही निर्णय लेती है कि किसे लोन देना है किसे नही और कितने इन्टरेस्ट पर देना है।एम पी आर एल पी के तहत माइक्रो फिनान्स पर जोर दिया जाता है और कोशिश की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह को ग्राम सभा से जोडा जाए।

बि आर एल पी के प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा महिला समूहों का निर्माण किया जा रहा है। ज्यादा ग्रुप गांव में बनने से गांव की संगठनात्मक शक्ति का विकास होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोफिनान्स महिलाओं की बचत पर आधारित होगा और कोशिश की जाएगी कि सारी प्रक्रिया कंप्युटर के माध्यम से हों। यह प्रोजेक्ट मार्केट ऑरीएन्टेड इकोनोमी पर भी काम कर रही हे यथा मछली पालन, मधुमक्खी पालन, लीची उत्पादन इत्यादि।

आई सी आई सी आई के प्रतिनिधि ने कहा कि पहले की तुलना में बिहार में अब माइक्रोफीनांस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पहले यहां आई सी आई सी आई बैंक काम नहीं कर रहा था, परन्तु अब इस बैंक का मुख्य केन्द्र बिदु बिहार हो गया है। उन्होने बताया कि इस वित्तिय वर्ष में 10–15 अच्छे पार्टनर बनाए जाएगें और 100–150 करोड का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की जाएगी। पार्टनर वैसे होगें जिनकी पकड माइक्रोफाइनांस में अच्छी होगी। इस तरह माइक्रोफाइनांस को बढावा देने से लोगों में पलायन की प्रवृति घटेगी और वे अपने क्षेत्र में ही रोजगार करेगें, जिससे सूबे का विकास होगा।

भविष्य की रूप रेखा

किसी भी परियोजना को स्वः प्रबंधित एवं स्वः संचालित बनाना एक बडी चुनौती है। पैक्स कार्यक्रम के तहत गरिबी उन्मूलन की दिशा में अनेकों पहल किए जा चुके हैं। इन सभी पहलुओं को बरकरार रखने हेतु इस सत्र में संस्था के प्रतिनिधि और पैक्स बिहार के प्रोग्राम सपोर्ट टीम के सदस्यों ने अपने विचार रखे।

CSOप्रतिनिधि आपस में चर्चा करते हुए

सबसे पहले संस्था के प्रतिनिधियों ने पैक्स द्वारा पंचायत सशक्तिकरण के पहल पर ध्यान केन्द्रित किया। ज्ञात हो पैक्स ने 2006 में बिहार पंचायत सशक्तिकरण अभियान चलाया था जिसके सहयोग से 2250 से ज्यादा पीछडे जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए। इन विजयी प्रतिभागीयो में अधिकांश स्वयं सहायता समूह की सदस्या हैं। इस सत्र में इन विजयी प्रतिभागीयों द्वारा किए गए पंचायत के कार्यो को और सुदृढ बनाने पर विचार किया गया। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि इन पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन की जरूरत है जिससे वे खुद से गांव के विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें।

इस सत्र का दूसरा अहम मुददा था कि कैसे स्वयं सहायता समूहों को स्थायित्व बनाकर जीविकोपार्जन से जोडा जाए। पैक्स के द्वारा बिहार में अब तक 4500 से ज्यादा स्वयं सहयता समूह का निर्माण किया जा चुका है। सत्र में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को डी आर डी ए एवं नाबार्ड से जोडा जाए। इसके अलावा यह भी चर्चा हुई कि कैसे इन समूहों के उत्पाद में स्थायित्व एवं वृद्धि लाई जाए। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना था कि इसके लिए पैक्स के आर ओ को साथ देना होगा। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के रोजगार हेतु उत्साहित करना होगा और उन्हे गांव में उचित वातावरण तैयार करना होगा। उन्हे उत्पाद के बाजार की मांग की चर्चा करनी होगीं क्योंकि अकसर देखा जाता है कि उतपादन तो हो जाते है परन्तु उनकी बिक्री नही हो पाती।

सत्र में यह भी चर्चा की गई कि कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में शिक्षा को बढावा देकर गॉव का विकास किया जा सकता है। प्रायः स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निरक्षर हैं। पैक्स कंप्युटर एवं परंपरागत माध्यम से इन्हे शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। संस्थाओं का यह मानना था कि इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा गॉव के अशिक्षित बच्चों को भी शिक्षा से जोडा जा सकता है।

CSO प्रतिनिधि अपने अनुभव बांव्ते हुए।

चर्चा में पैक्स नेटवर्क को और सुदढ बनाने और रास्ट्रीय एवं अंतरास्ट्रीय विकास संस्थाओं से जोडने पर भी बल दिया गया। आज पैक्स नेटवर्क को काफी हद तक राज्य ग्रामीण विकास विभाग से सफलता पूर्वक जोडा जा चुका है। इसके अलावा सर्वशिक्षा अभियान से इसे जोडने का प्रयत्न किया जा रहा है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानना था कि पैक्स नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा दूसरे विकास संस्थाओं से जोडने का प्रयास किया जाए ताकि पैक्स के द्वारा किए गए गरिबी उन्मूलन के कार्य को अलग-अलग रूप में उपयोग किया जा सके। संस्थाओं का क्षमता वर्द्धन पैक्स का एक महत्वपूर्ण उद्वेश्य रहा है और इसमें उसे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। इस सत्र में संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानना था कि इन क्षमता वर्द्धन प्रयासों के कारण उनकी संस्थाओं की दक्षता बढी है और वे दूसरे फंडींग एजेंसी से प्रोजेक्ट लेने में कामयाब हो रहे हैं।